

श्रव्य-दृश्य
सह - निर्माण पर
भारत गणराज्य की सरकार
और
जर्मन संघ गणराज्य की सरकार
के बीच
करार ।

भारतीय गणराज्य की सरकार और जर्मनी संघ गणराज्य की सरकार (इसके पश्चात् जिनका उल्लेख संयुक्त रूप से “संविदाकारी पक्षकारों” के रूप में किया जाएगा) ;

इस बात पर विचार करते हुए श्रव्य-दृश्य सह निर्माण दो देशों के बीच फ़िल्म उद्योग के विकास और सांस्कृतिक और आर्थिक विनिमय के तीव्रीकरण में काफी अधिक योगदान दे सकता है;

भारत गणराज्य और जर्मनी संघ गणराज्य के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प ;

श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में, विशेषकर फ़िल्मों और टी वी तथा वीडियो निर्माणों के सह-निर्माण के लिए बेहतर संबंधों हेतु स्थिति बनाने के इच्छुक ;

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सह-निर्माण की गुणवत्ता दोनों देशों के टी वी और वीडियो निर्माण को बढ़ाने में सहायता कर सकती है ;

निमानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

“श्रव्य - दृश्य सह-निर्माण” की परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ एक “श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण” थियेटरों, टेलीविजन, वीडियो कैसेटों, वीडियो डिस्क, सी डी रोम, डी वी डी या वितरण के किसी अन्य प्ररूप द्वारा उपयोग हेतु किसी भी फॉर्मट में निर्मित एनीमेशन और वृत्तचित्र निर्माण सहित लंबाई के निरपेक्ष एक परियोजना है। संविदाकारी पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जरिए इस करार में श्रव्य दृश्य निर्माण के नए प्ररूप शामिल किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 2

सक्षम प्राधिकरण

- (1) इस करार के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी सक्षम प्राधिकरण :
 - (क) भारत गणराज्य की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ; और
 - (ख) जर्मनी के संघीय गणराज्य की ओर से आर्थिक और निर्यात नियंत्रण का संघीय कार्यालय (बी ए एफ ए) ।
- (2) इस करार के विषय क्षेत्र में आने वाले सह-निर्माण सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन हैं ।
- (3) यदि सक्षम प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन किया जाता है तो संविदाकारी पक्षकार एक दूसरे को सूचित करेंगे ।

अनुच्छेद - 3

राष्ट्रीय फ़िल्मों के रूप में अनुमति

- (1) इस करार के दायरे में निर्मित होने वाली फ़िल्मों को राष्ट्रीय फ़िल्में माना जाएगा ।
- (2) ये फ़िल्में फ़िल्म और वीडियो उद्योगों को उपलब्ध सभी राज्य सहायता लाभ और संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों का दावा करने की हकदार होंगी ।

अनुच्छेद-4

सह-निर्माण दर्जे का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शर्तें

- (1) इस करार के अंतर्गत कोई भी लाभ सह निर्माण के लिए केवल तभी उपलब्ध होगा जबकि
कुल लागत का कम से कम 20 % तक सृजनात्मक एवं अन्य सामग्री सहित वित्त,
सामग्री एवं प्रबंधन निवेश किसी एक देश के सह-निर्माता द्वारा किया गया हो ।
- (2) एक फिल्म के सह-निर्माताओं का मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय किसी एक
संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में होगा । किसी भी सह-निर्माता को सामान्य प्रबंधन, स्वामित्व
या नियंत्रण के द्वारा सहबद्ध नहीं किया जाएगा ।
- (3) तकनीकी और कलात्मक कार्मिक वे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने-अपने देश में लागू घरेलू
कानून के अनुसार श्रव्य-दृश्य निर्माताओं, विशेषकर पटकथा लेखकों, निर्देशकों, रचनाकारों,
संपादकों, छायाचित्र निर्देशकों, कला निर्देशकों, अभिनेताओं और ध्वनि तकनीशियनों के रूप
में मान्यता प्राप्त होते हैं । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का व्यक्तिगत तौर पर
मूल्यांकन किया जाएगा ।
- (4) नियमानुसार योगदान में पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित एक व्यक्ति के अतिरिक्त कम से
कम एक अग्रणी अभिनेता, एक सहायक अभिनेता और/या एक अर्हता प्राप्त तकनीकी स्टाफ
कार्मिक शामिल है बशर्ते कि दो अर्हता प्राप्त तकनीकी स्टाफ कार्मिक एक अग्रणी अभिनेता
का स्थान ले सकते हैं ।

- (5) दोनों देशों के सह-निर्माता अपने व्यावसायिक ज्ञान, संगठनात्मक क्षमता, वित्तीय समर्थन और व्यावसायिक प्रतिष्ठा सहित एक दूसरे की क्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे। संविदाकारी पक्षकार दोनों सह-निर्माताओं के प्रत्यय पत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
- (6) सह-निर्माण करने वाली कंपनी इस आशय का साक्ष्य उपलब्ध कराएगी कि उस कंपनी का मुख्य व्यवसाय श्रव्य-दृश्य, (फिल्म टेलीविजन और वीडियो) निर्माण है।

अनुच्छेद- 5

सहभागी

- (1) किसी फिल्म के निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे:
- (क) जहां तक भारण गणराज्य का संबंध है, वे-
- (i) भारत गणराज्य के राष्ट्रिक/नागरिक होंगे अथवा
- (ii) भारत के स्थायी निवासी।
- (ख) जहां तक जर्मन संघ गणराज्य का संबंध है, वे-
- (i) बुनियादी कानून की परिभाषा के भीतर जर्मन होंगे ;
- (ii) वे व्यक्ति जो जर्मन संस्कृति में पले बढ़े हैं और उनका कानूनी निवास जर्मन संघ गणराज्य के सीमा क्षेत्र में है ;
- (iii) यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के राष्ट्रिक ; अथवा
- (iv) 2 मई 1992 के यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ई ई ए) पर करार के अन्य पक्षकार के राष्ट्रिक ;
2. उप पैरा (क) और (ख) में यथा परिभाषित सह-निर्माण के सहभागियों को समस्त निर्माण के दौरान अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अवश्य बनाए रखना चाहिए और वे निर्माण कार्यकलाप के दौरान किसी भी समय ऐसे स्तर को अधिप्राप्त या खो नहीं सकता है।

3. यदि फिल्म के लिए ऐसी अपेक्षा हो तो केवल अपवादिक परिस्थितियों में और दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकरणों के बीच करार के अध्यधीन ऐसे व्यावसायिकों की सह-भागिता की अनुमति दी जाए जो कि सह-निर्माण कर्ता देशों के नागरिक नहीं हैं।

अनुच्छेद 6

फिल्म निगेटिव और भाषाएं

- (1) सभी सह-निर्मित फिल्मों के लिए दो निगेटिव या कम से कम एक निगेटिव और एक डुप्लीकेट निगेटिव तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक सह-निर्माता उससे डुप्लीकेट या प्रिंट तैयार करने के हकदार होंगे। प्रत्येक सह-निर्माता भी सह-निर्माताओं के बीच सहमत शर्तों के अनुसार मूल निगेटिव का इस्तेमाल करने का हकदार होगा।
- (2) प्रत्येक सह निर्माण के मूल साउंड ट्रैक को हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा या बोली या अंग्रेजी या जर्मन में या उक्त अनुमति प्राप्त भाषाओं में संयुक्त रूप से तैयार करेगा। पटकथा की यथावश्यकतानुसार अन्य भाषाओं के संवाद सह-निर्माण में शामिल किए जा सकते हैं।
- (3) भारत गणराज्य की अनुमत्य किसी भी भाषा में अथवा जर्मन में रूपांतरण या उप शीर्ष तैयार करने का कार्य भारत गणराज्य में अथवा जर्मन संघ गणराज्य में अथवा यूरोपीय संघ के किसी अन्य सदस्य राज्य में क्रमशः तैयार किए जाएंगे। इस सिद्धांत से हटकर की जाने वाली किसी भी व्यवस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद-7

अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रवेश

- (1) बहुसंख्यक सह-निर्माता सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में सह-निर्मित फिल्मों का प्रवेश करेगा।
- (2) समान अंशदान के आधार पर निर्मित फिल्मों को उस देश की फिल्म के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, निर्देशक जिसका राष्ट्रिक है, बशर्ते कि निर्देशक अनुच्छेद 5(1) (क) (iv)में अनुध्यात देश से न हो, इस स्थिति में फिल्म को, दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकरणों के बीच करार के अध्यधीन इस देश की फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस देश का मुख्य अभिनेता राष्ट्रिक है।

अनुच्छेद - 8

बहुपक्षीय सह निर्माणों के मामले में अल्पसंख्यक

और बहुसंख्यक योगदान

बहुपक्षीय सह निर्माणों की स्थिति में संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कानूनों एवं विनियमों में निर्धारित विशिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन अल्पसंख्यक योगदान फिल्म की कुल लागत के 10% से कम का न हो और अल्पसंख्यक योगदान 70 % से अधिक का न हो।

अनुच्छेद-9

निर्माताओं का योगदान

- (1) इस करार के प्रावधानों के बावजूद और द्विपक्षीय सह-निर्माणों के हित में यहां तक कि उन फिल्मों को सह-निर्माण करार के अनुसार सह-निर्माण स्तर की मंजूरी दी जा सकती है,

जिन्हें दोनों में से किसी भी देश में निर्मित किया जाता है और अल्पसंख्यक योगदान वित्तीय निवेश तक सीमित है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक योगदान फ़िल्म की कुल अंतिम लागत के 20 % से कम नहीं हो सकता है।

- (2) इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्तिगत निर्माण को सह-निर्माण का दर्जा दिए जाने का मामला सक्षम प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन होगा।
- (3) ऐसे सह-निर्माणों के संवर्धन के लिए संविदाकारी पक्षकारों के सीमा क्षेत्रों में किए गए व्यय की क्षति पूर्ति परियोजना समाप्त होने से दो वर्ष के भीतर कर दी जाएगी।

अनुच्छेद - 10

संतुलित योगदान

- (1) कास्टिंग सहित कलात्मक एवं तकनीकी दोनों प्रकार के कार्मिकों के संबंध में और वित्तीय निवेश एवं सुविधाओं (स्टूडियो, प्रयोगशालाओं और निर्माणोत्तर) के संबंध में सामान्य संतुलन बनाया रखा जाना चाहिए।
- (2) अनुच्छेद 12 के तहत स्थापित संयुक्त आयोग इस बात को सुनिश्चित करने की समीक्षा करेगा कि क्या इस संतुलन को बनाए रखा गया है और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसे उपाय करेगा कि जिन्हें वह ऐसे संतुलन को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक समझता है।

अनुच्छेद 11

प्रत्यय

एक सह-निर्माण फिल्म और इससे जुड़ी हुई संवर्द्धनात्मक सामग्री में या तो इस बात को सूचित करते हुए प्रत्यय शीर्ष शामिल करेगा कि फिल्म “एक सरकारी भारतीय-जर्मन सह-निर्माण” है या “एक सरकारी जर्मन-भारतीय सह-निर्माण” है अथवा जहां प्रासंगिक हो इस आशय के प्रत्यय को प्रस्तुत करेगा जिससे भारत गणराज्य, जर्मन संघ गणराज्य, और तीसरे सह-निर्माता देश की सहभागिता परिलक्षित होती हो ।

अनुच्छेद-12

संयुक्त आयोग

- (1) संयुक्त आयोग में सरकार और दोनों संविदाकारी पक्षकारों के फिल्म, टेलीविजन और वीडियो उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।
- (2) संयुक्त आयोग की भूमिका इस करार के कार्यान्वयन एवं संचालन का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करने तथा करार के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की होगी ।
- (3) संयुक्त आयोग, किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसा अनुरोध करने के छह माह के भीतर बैठक या अन्यथा आयोजित करेगा ।

अनुच्छेद - 13

देश में अस्थायी प्रवेश

अनुमोदित सह-निर्माणों के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने देश में प्रवृत्त घरेलू कानून के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराएगा:-

- (क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के तकनीकी एवं कलात्मक कार्मिकों के लिए अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश और अस्थायी निवास ;
- (ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के निर्माताओं द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में तकनीकी एवं अन्य फ़िल्म निर्माण संबंधी उपस्कर एवं सामग्री का आयात-निर्यात ।

अनुच्छेद 14

संशोधन

इस करार में राजनयिक माध्यम से संविदाकारी पक्षकारों के बीच नोटों का आदान-प्रदान करके संविदाकारी पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 15

विवादों का निपटारा

इस करार के निर्वचन या कार्यान्वयन को लेकर संविदाकारी पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को परामर्श एवं वार्ता के जरिए पारस्परिक सहमति से निपटाया जाएगा ।

अनुच्छेद 16

प्रवर्तन, अवधि और समाप्ति

- (1) यह करार हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू होगा ।
- (2) अनुलग्नक, जो कि इस करार का अभिन्न अंग है, सहित यह करार पैराग्राफ (3) की शर्तों के तहत समाप्त न होने तक असीमित समयावधि तक लागू रहेगा ।
- (3) दोनों में से कोई भी पक्षकार राजनीतिक माध्यम से दूसरे पक्षकार को अग्रिम रूप से छह माह की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है ।
- (4) इस करार के समाप्त होने का इसके समाप्त होने से पूर्व अनुमोदित सह-निर्माणों के समाप्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बर्लिन में सोलह फरवरी 2007 को शुक्रवार के दिन जर्मन, अंग्रेजी ओर हिंदी, भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, सभी तीनों पाठ प्रामाणिक हैं । निर्वचन में किसी भी प्रकार के मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अविभावी होगा ।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से

जर्मनी गणराज्य सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार

और

जर्मन संघ गणराज्य की सरकार

के बीच

अव्य - दृश्य सह - निर्माण

करार का अनुलग्नक

(इस करार के अंतर्गत सह -निर्माण के स्तर के अनुमोदनार्थ आवेदनों के लिए कार्यविधि के नियम)

1. किसी सह-निर्माण के लिए इस करार के अंतर्गत सह-निर्माण के लाभों के लिए किसी भी फ़िल्म की अर्हता हेतु आवेदन शूटिंग शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्वप्राधिकरणों के साथ-साथ किए जाने चाहिए ।
2. दोनों पक्षकारों के सक्षम प्राधिकरण नीचे पैरा 3 में यथा वर्णित पूर्ण-प्रलेखन के प्रस्तुतिकरण से 20 दिन के भीतर दूसरे सक्षम प्राधिकरण को अपने-अपने प्रस्ताव से अवगत कराएंगे ।
3. किसी आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत प्रलेखन में जर्मनी के मामले में जर्मन में और भारत के मामले में अंग्रेजी में तैयार की गई निम्नलिखित मर्दें शामिल होंगी द्व-

- 3.1 अंतिम पटकथा और संक्षेपण; इस करार के अंतर्गत सह-निर्माणों की शूटिंग भारत या जर्मनी में, जैसी भी स्थिति हो संबंधित देश के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। दोनों पक्षकार प्रासंगिक दिशा-निर्देशों और उनमें किए गए परिवर्तनों के बारे में समय-समय पर एक दूसरे को सूचित करेंगे।
- 3.2 इस बात के लिए प्रलेखीय प्रमाण कि सह-निर्माण को तैयार करने और लागू करने के वैधानिक अधिकारी प्राप्त कर लिए गए हैं और सह-निर्माण के लिए प्रतिलिप्याधिकार को विधिक रूप से अधिप्राप्त कर लिया गया है।
- 3.3 दोनों सह-निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित सह-निर्माण संविदा की प्रति (1) संविदा में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :
- (क) सह - निर्माण का शीर्षक ;
 - (ख) पटकथा लेखक का नाम, अथवा उद्घृत कर्ता का नाम यदि इसे किसी साहित्यिक स्रोत से लिया गया है; लेखक/वैधानिक उत्तराधिकारियों से साहित्यिक कार्य का फ़िल्म में रूपांतरित करने के बारे में अनुमति - पत्र संलग्न किया जाए ;
 - (ग) निर्देशक का नाम (यदि आवश्यक हो तो उसके प्रतिस्थापन हेतु एक प्रतिस्थापन खंड की अनुमति है);
 - (घ) बजट;
 - (ङ.) वित्त पोषण योजना ;
 - (च) राजस्व, बाजार, मीडिया अथवा इनकी संयुक्त हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए खंड ;

- (छ) किसी भी अति या अल्प व्यय में सह-निर्माताओं की संबंधित अंशों का ब्यौरा देने वाला एक खंड जिनके अंश सिद्धांततः संबंधित अंशदायकों के समानुपातिक होंगे यद्यपि किसी भी अति व्यय के मामले में अल्पसंख्यक सह निर्माता के अंश को इस व्यवस्था के साथ निम्न प्रतिशत तक या निर्धारित राशि तक सीमित किया जाए कि करार के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त न्यूनतम समानुपात का सम्मान किया जाए ।
- (ज) एक ऐसा खंड जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि यदि सह-निर्माता के अंशदान का प्रतिशत सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरांत बदलता है तो सक्षम प्राधिकरणों को इस बारे में सूचना दी जानी होगी ; किसी भी मामले में अंशदान अनुच्छेद 9 में सहमत न्यूनतम अंशदान से कम नहीं हो सकता है ।
- (झ) ऐसे खंड की व्यवस्था करना जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि इस करार के अंतर्गत सह निर्मित फिल्मों को निर्धारित नियमों/कार्यविधियों के अनुसार एक-दूसरे देश में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है ।
- () इस बात को मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसे खंड की व्यवस्था करना जिसमें इन करार के अंतर्गत अनुमत्य लाभ इस प्रतिबद्धता का भाग न हों कि किसी भी देश के सरकारी प्राधिकरण सह-निर्माण के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए लाइसेंस प्रदान करेंगे;

- (ट) ऐसे एक खंड की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित बातों के लिए उपाय का निर्धारण किया जाएगा :-
- (i) मामले पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात दूसरे देश के प्राधिकरण आवेदित लाभों को मंजूरी देने से इंकार करते हैं ;
- (ii) सक्षम प्राधिकरण दूसरे देश में सह-निर्माण के प्रदर्शन अथवा तीसरे देश में इसके निर्यात को निषिद्ध करते हैं ;
- (iii) दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार अपने वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं ;
- (ठ) शूटिंग शुरू की जाने वाली अवधि ;
- (ड) एक ऐसा खंड जिसमें इस बात का निर्धारण हो कि बहुसंख्यक सह-निर्माता कम से कम “सभी निर्माण-जोखिमों” और “सभी मूल सामग्री निर्माण- जोखिमों ” को शामिल करते हुए बीमा नीति कराएगा ; और
- (ढ) एक ऐसा खंड जिसमें इस आधार पर प्रतिलिप्याधिकार के स्वामित्व की हिस्सेदारी का प्रावधान हो कि यह सह-निर्माताओं के संबंधित अंशदानों के समानुपातिक है ।
- 3.4 वितरण संविदा, जहां पर इसमें पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं अथवा एक मसौदा यदि इसे अभी भी संपन्न किया जाना है ;
- 3.5 सृजनात्मक एवं तकनीकी कार्मिकों की उनकी राष्ट्रीयता के साथ सूची और प्रदर्शनकारियों के मामले में उनके द्वारा अदा की जाने वाली भूमिकाओं की सूची;
- 3.6 निर्माण कार्यक्रम;

- 3.7 प्रत्येक देश द्वारा वहन किए जाने वाले व्ययों को अभिनिर्धारित करने वाला विस्तृत बजट;
- 3.8 वित्तीय संरचना में सभी सहभागियों के लिए सभी संविदाएँ और अन्य प्रासंगिक वित्तीय प्रलेखन ।
4. सक्षम प्राधिकरण यथावश्यक समझे जाने वाले कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज और अन्य सभी अतिरिक्त सूचना की मांग रख सकता है ।
5. सिद्धांततः अंतिम शूटिंग की पटकथा (संवाद सहित) को शूटिंग शुरू होने से पूर्व सक्षम प्राधिकरणों के पास प्रस्तुत किया जाए ।
6. किसी सह-निर्माता के प्रतिस्थापन सहित संशोधनों को मूल संविदा में किया जाए लेकिन उनको सह-निर्माण समाप्त होने से पूर्व सक्षम प्राधिकरणों के अनुमोदनार्थ अवश्य प्रस्तुत किया जाए । सह निर्माता के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल अपवादिक मामलों में और दोनों प्राधिकरणों के लिए संतोषजनक कारणों से दी जाए ।
7. सक्षम प्राधिकरण अपने-अपने निर्णयों से एक दूसरे को अवगत कराते रहेंगे ।